21.1.25 प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र U/S 151, 152 CPC पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में पै.नं. 113 के खसरा नं. 123 व निर्णय दि. 28.9.24 के पै.नं. 113 के खसरा नं. 123 लेखन से गलती दर्ज हो गयी है जिसमें प्रार्थना पत्र व निर्णय में पै.नं. 123 के खसरा नं. 113 दुरुस्त किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र में पै.नं. 123 के खसरा नं. 113, व निर्णय में भी पै.नं. 123 के खसरा नं. 113 कर दिये जाने के आदेश जारी किया जाता, पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र संलग्न शामिल किया जाता। प्रार्थना पत्र में पै.नं. 123 के खसरा नं. सही में 113 अंकित किया जाता। [signature]

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा, आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी सॉगोद ,कोटा

प्रकरण सं0 73/2021 तारीख दायरा 21.112022

बउनवान

आशीष शर्मा उम्र वर्ष पुत्र स्व0 कन्हैयालाल जाति ब्रहम्ण निवासी ग्राम विजयपुर हाल निवासी मकान नं0 बी 30 न्यू नाकोडा कोलोनी बॉरा जिला बॉरा राजस्थान । –प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा राज0

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 आर.टी.एक्ट बाबत प्रार्थी का नाम छोटूलाल के स्थान पर आशीष शर्मा शुद्व किये जाने बाबत –

उपस्थिति प्रार्थी अधिवक्ता –श्री रमेश कुमार डोहलिया ,

संशोधित आदेश दिनॉक 21.1.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जर्ये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 आर.टी. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम विजयपुर पटवार हल्का बोरीना कलॉ तहसील सॉगोद जिला कोटा राजस्थान कि खाता सं0 नई 91 के खसरा सं0 123 की 3.52 हैक्टर , अन्य सहखातेदारान के साथ आराजी स्थित है ।जिसमे प्रार्थी का नाम छोटूलाल पुत्र कन्हैयालाल के नाम से हिस्सा दर्ज है जो पिता के फौती इंन्तकाल के समय राजस्व कर्मचारियों / अधिकारीयों ने सहवन से बोलते नाम छोटूलाल के नाम से नामान्तरण विरासत के आधार पर खोल दिया गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम आशीष शर्मा पुत्र स्वं0 कन्हैयालाल हमेशा से ही आधार कार्ड ,जनआधार कार्ड ,बैक पास बुक में दर्ज है जो सही व सत्य है ।

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे छोटूलाल होने से राजकिय कार्य तथा विकास कार्य करवाने मे काफी परेशानी का सामना करना पडता है । इसलिए प्रार्थी के लिए राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम छोटूलाल के स्थान पर आशीष शर्मा पुत्र स्वं0 कन्हैयालाल शर्मा दुरस्त करवाना आवश्यक हो गया है।

यह कि आदेश दिनॉ क 28.9.2024 में खसरा सं0 123 के स्थान पर खसरा सं0 113 को आदेश में संशोधन करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनॉक 28.9.2024 के खसरा सं0 123 के स्थान पर खसरा सं0 113 पढा जावे।

प्रत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे पेश किये गये दस्तावेज आधार कार्ड ,बैंक पास बुक ,राशन कार्ड ,भामाशाह कार्ड पेश की ,समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर उचित प्रतित होता है कि प्रार्थीया का नाम **नाम छोटूलाल के स्थान पर आशीष शर्मा उर्फ छोटूलाल पुत्र स्वं0 कन्हैयालाल नाम शुद्व किये** जाने के आदेश परित फरमाये जाते है तथा तहसीलदार सांगोद को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना में राजस्व जमाबंदी में अमल दरामद दर्ज किया जावे । तहसीलदार सॉगोद को उक्तानुसार तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामावतार मीणा
सॉगोद जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी सॉगोद

Scanned with OKEN Scanner